न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/486

छीतर सिंह पुत्र कंचन सिंह जाति राजपूत ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमान सिंह पुत्र मोती सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बम्बूली तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. नन्दसिंह पुत्र मोती सिंह जाति राजपूत ।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत ।
4. मोड सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत ।
5. प्रहलाद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत ।
6. जय सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत ।
7. मोहन सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत ।
8. हिम्मत सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत ।
9. भरत सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत ।
10. गजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बम्बूली तहसील दीगोद जिला कोटा ।
11. राजस्थान सरकारन जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमन्तकृष्ण विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री बनवारी लाल मीणा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बम्बूली की आराजी खसरा नम्बर 139 की 23 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 171 की 16 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 198 की 13 बिस्वा कुल तीन किता की 40 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के दादा जोरावर सिंह के खाते में दर्ज है । उक्त भूमि माफी सांसरी गिरी की थी जिस पर वादी के दादा जोरावर सिंह जी अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त रहे । सेटलमेंट विभाग ने उक्त आराजी के खातेदार के रूप में इन्द्रसिंह पुत्र जोरावर सिंह लिखा तथा कब्जा कंचन सिंह का बताया जबकि सेटलमेंट के पहले व बाद में कंचन सिंह का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । जोरावर सिंह लाऔलाद

फौत होने के कारण तीनों पुत्र मोती सिंह, इन्द्र सिंह व अर्जुन सिंह का ही कब्जा काश्त रहा । संवत् 2013 में हुए सेटलमेंट के दौरान गलती व सहवन से प्रतिवादी क्रम 1 के पिता का नाम दर्ज हो गया था, जबकि उक्त भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 2 से 10 के दादा जोरावर सिंह जी की सम्पत्ति है । उक्त भूमि में वादी तथा प्रतिवादी क्रम 2 का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी क्रम 3 से 4 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 5 से 10 का 1/3 हिस्सा है । वादी का 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा है । वादी 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्से पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है । सेटलमेंट की गलती के कारण सहवन से प्रतिवादी क्रम 1 के पिता कंचन सिंह व उसके बाद प्रतिवादी क्रम 1 का नाम दर्ज चला आ रहा है जिसका राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे ग्राम बम्बूली तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 206, 279, 283, 298, 200/1379 कुल 6.26 हैक्टर भूमि पर से प्रतिवादी क्रम 1 का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी तथा प्रतिवादी क्रम 2 से 10 की पुश्तैनी भूमि होने से वादी तथा प्रतिवादी क्रम 2 से 10 का नाम बतौर खातेदार अंकित किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी क्रम 2 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 3 व 4 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 5 से 10 का 1/3 हिस्सा होने से उक्त भूमि का विभाजन किया जाकर वादी का 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अलग खाता दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से रहन, बेचान, अन्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे और न वादी तथा प्रतिवादी क्रम 2 से 10 को काश्त करने से रोके और न ही कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2012 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2012 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 छीतर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य मौखिक रूप से प्रस्तुत नहीं की गई थी । वादी द्वारा अपने वाद को किसी भी मौखिक साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध नहीं किया जिसके कारण से वाद पत्र प्रथमदृष्टया खारिज होने योग्य था । कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं हुई थी जिससे कोई भी दस्तावेज पढने योग्य नहीं था । संवत् 2008 से पहले कंचन सिंह का ही नाम था चूँकि पत्रावली पर वादी की साक्ष्य नहीं थी प्रतिवादी ने भी साक्ष्य पेश नहीं की । अधीनस्थ न्यायालय ने किस दस्तावेज को आधार बनाया यह स्पष्ट नहीं है। केवल मात्र सेटलमेंट का रिकॉर्ड एंव संवत् 1982 के रिकॉर्ड को गलत ढंग से आधार बनाया गया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रभावी हुआ है और इस अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति अधिनियम के प्रभावी होने के समय जमीन का खातेदार है एंव अधिनियम के प्रभावी होने के तत्काल पश्चात् खातेदार के रूप में स्वीकार किया गया है उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है । उस समय भी कंचनसिंह जी धारा 15 के प्रावधान के अनुसार खातेदारी का अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी थे । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सभी एक गॉव के है । अपीलान्ट का कब्जा अपने पिता के समय से है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह

त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

8. हमने उक्त प्रार्थना का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात पैश किये हैं उनमें नकल जमाबन्दी संवत् 2008 से 2011 की प्रमाणित प्रति, सेटलमेंट का पर्चा संवत् 2012 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2012 –2015 की प्रमाणित प्रति, पर्चा चकबन्दी सेटलमेंट संवत् 2032 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2043 से 2062 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी संवत् 2066 से 2069 की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी संवत् 2025–28, 2029–32, 2033–36, 2056–58, 2058–60 की प्रमाणित प्रतियॉ, रसीदात कर्ता लगान कुल 46 मांग पत्र कुल 5 पेश किये गये हैं । उक्त दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड व राजकीय प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता व प्रकरण से सम्बन्धित है । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 53 एवं 188 के तहत पेश किया था । वादी के द्वारा किसी प्रकार की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी इसलिए दावा खारिज किया जाना चाहिए था । कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं हुई थी जिससे कोई भी दस्तावेज पढने योग्य नहीं था । संवत् 2008 से 2011 की जमाबन्दी भी प्रस्तुत थी जिसमें भी कंचन सिंह बतौर खातेदार दर्ज था और जोरावर सिंह का नाम संवत् 2008 में अंकित नहीं था । सेटलमेंट की कार्यवाही संवत् 2013 से प्रारम्भ हुई है जिससे स्पष्ट है कि सेटलमेंट के पहले से कंचन सिंह का नाम रिकॉर्ड में था । संवत् 1982 के सेटलमेंट के रिकॉर्ड को गलत आधार बनाया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 से प्रभावी हुआ है । अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख को जो जमीन का खातेदार था वो धारा 15 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होगा । धारा 15 के प्रावधान के अनुसार कंचन सिंह ही खातेदार घोषित होने का अधिकारी था । भूमि पर लगातार कब्जा अपीलान्ट के पिता एवं अपीलान्ट का चला आ रहा है जो खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है । अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा गिरदावरी में अंकित कंचन सिंह और छीतर सिंह के कब्जे के तथ्यों पर गौर नहीं किया है । किसी भी तनकी का विवेचन विधि सम्मत रूप से नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी एवं कब्जे की है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.07.2012 के अनुसार साक्ष्य वादी बन्द की गई है। वादी को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना होता है । जब तक वादी अपने दावे को साक्ष्यों से सिद्ध नहीं करता है तब तक दावा वादी डिक्री नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्नतीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 4 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट वाद का कब्जा है, उक्त आराजी पुश्तैनी भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.08.2012 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी हनुमान सिंह पुत्र मोती सिंह ने हक घोषणा का दावा यह कथन करते हुए पेश किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में है परन्तु इस पर कब्जा वादी एवं उनके पूर्वजों का रहा है । संवत् 2013 में हुए सेटलमेंट की गलती से प्रतिवादी के पिता का नाम दर्ज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2054 –57 संलग्न हैं । जिसमें वादग्रस्त आराजी छीतर पुत्र कंचन सिंह के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2036–39, भू–प्रबन्ध विभाग की नकल खतौनी संवत् 2013–2032, नकल जमाबन्दी संवत् 1882 पेश की गई हैं । इसके अलावा पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2054–2057, पर्चा चकबन्दी सेटलमेंट विभाग, कुछ रसीदों की फोटो प्रति संलग्न हैं परन्तु पत्रावली में न तो वादी और न ही प्रतिवादी किसी के भी बयान नहीं हुए हैं और पेश किये दस्तावेजात को भी प्रदर्श नहीं करवाया गया है । सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार दावे के समर्थन में पेश किये गये दस्तावेजात को वादी के द्वारा प्रदर्श करवाया जाना अनिवार्य होता है इसके अभाव में दस्तावेजात को साक्ष्य में पढा नहीं जा सकता । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण व खारिज होने योग्य है ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं वो प्रमाणित प्रतियॉ हैं और प्रकरण के सम्बन्धित हैं । प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया है । इन दस्तावेजात के रिबटल में यदि वादी कुछ और दस्तावेजात पेश करना चाहते हों तो उन्हें भी रिकॉर्ड पर लेकर प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनको रिकॉर्ड पर लेकर इनके रिबटल में वादी को दस्तावेजात पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्षकारान की मौखिक साक्ष्य भी रिकॉर्ड पर लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 1.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा